प्रेषक,

ओ0पी0द्विवेदी,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
समस्त सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0,
विद्यालय मेरठ मण्डल।

पत्रांक / माध्यमिक शिक्षा / (NOC) / मेरठ दिनांक : 06-08-19

विषय :– सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सी0बी0एस0ई / आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश संख्या–2762 / 15–13–91 शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 1991 एवं शासनादेश संख्या–1916 / 15–7–9(299) / 2007 दिनांक 14–07–2009 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से शिकायते प्राप्त हो रही है कि संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तो का अनुपालन नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निम्न बिन्दुओं पर साक्ष्यों सहित अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का नवीनीकृत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(2) संस्था में कार्यरत अध्यापकों का विवरण (स्टाफ स्टेटमेन्ट) वांछित, जिसमें अध्यापकों की नियुक्ति तिथि, जन्मतिथि, पदनाम, शैक्षिक योग्यता का विषयों सहित विवरण अंकित होना आवश्यक है।

(3) "संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।" इस सम्बन्ध में संस्था में कार्यरत स्टाफ को दिये जा रहे वेतन का पूर्ण विवरण साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जाये।

(4) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

(5) "विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।" ऐसे छात्र / छात्राओं की सूची साक्ष्यों सहित उपलब्ध करायी जाये।

(6) विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं की कक्षावार संख्या वांछित।

(7) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का मदवार / कक्षावार विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यह भी अवगत कराये कि उक्त विवरण संस्था की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है अथवा नही?

(8) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य का नाम / पदनाम उपलब्ध कराये।

(9) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय में लिये गये छात्र / छात्राओं के प्रवेश की सूची साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराये।

(10) "संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत दो वर्षो का वार्षिक लेखा–जोखा आई0टी0आर0 सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।"

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–2308 / 15–12–2012–1608(8) / 2012 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल 2013 के द्वारा प्राईमरी अनुभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

Scanned by CamScanner

" शिक्षक के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगे जो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, स्नातक की उपाधि रखते हो तथा बी0टी0सी0/बी0एण्ड प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किये हो एवं उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा–1 से कक्षा–5 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किये हो।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार /राज्य सरकार के नोटिफिकेशन/शासनादेशों के द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि विभिन्न प्रदेश सरकारों के बोर्ड के मान्यता प्राप्त सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापन कार्य कराने वाले अध्यापकों को कक्षा 01 से 05 तक प्राईमरी स्तर की टी0ई0टी0/सी0टी0ई0सी0 (Teacher Eligibility Test) एवं कक्षा 06 से 08 तक जूनियर स्तर की टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसकी समय–सीमा 31 मार्च 2019 निर्धारित की गयी थी, किन्तु आपके द्वारा अद्यतन उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापको के शैक्षिक अभिलेख एवं सूची इस कार्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है। विद्यालय को प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रतिबन्ध संख्या–6 में स्पष्ट उल्लेख है कि" राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।"

साथ ही यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

अतः आप उपरोक्त वांछित अभिलेख साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उपरोक्त वांछित अभिलेखा आपके द्वारा इस कार्यालय को 15 के भीतर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा नियमानानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या– माध्यमिक शिक्षा/ (NOC)/ 4178-92 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, मेरठ/बागपत/हापुड़/गाजियाबाद/बुलन्दशहर/गौतमबुद्वनगर।
(4) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ/बागपत/हापुड़/गाजियाबाद/बुलन्दशहर/गौतमबुद्वनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं को निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।

(ओ0पी0द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ। 8/8/19

Scanned by CamScanner